

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 07 / 2025

1. अनिल कुमार पुत्र भीमसेन } जाति जाट निवासीयान कुलचन्द्र तहसील टिब्बी  
2. सन्तोष पत्नी भीमसेन } जिला हनुमानगढ़। वादीगण
- बनाम्
1. साक्षी पत्नी स्व० विकास कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकन० 10 सीडीआर ए के खाता सं० 101 / 97 में प०न० 211/253 मु० 24 किलान० 1,2,3,4/1.012 है०, 5/1/.228, 5/2/.025 है० गै०मु० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है० गै०मु० खाला, 7, 8/.506 है०, प०न० 212/252 मु० 20 किलान० 21/.253 है० आराजी वादी सं० 1 अनिल कुमार को तथा चकन० 10 सीडीआर ए के प०न० 210/252 मु० 22 किलान० 16, 25 कुल 0.506 है० आराजी वादीया सं० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक 10 सीडीआर ए के खाता सं० 101/97 में से भीमसेन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।